इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए 3-12-2018-1-पांच (87).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,

(i) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-55-2017-1-पांच (103), भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर, 2017; और

(ii) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-12-2018-1-पांच (34), भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2018.

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-26-2018-1-पांच (74), भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी."

यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी.

पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए 3-12-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-12-2018-1-पांच (87), दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F A 3-12-2018-1-V (87).—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments :—

(i) in this department's notification No. F A-3-55-2017-1-V (103), dated the 15th September, 2017; and

(ii) in this department's notification No. F A-3-12-2018-1-V (34), dated the 24th March, 2018,

namely :—

2. In the said notifications, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the return in FORM GSTR-3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxprayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of this department's notification No. F A-3-26-2018-1-V (74), Bhopal, dated 29th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.".

This Notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th of September, 2018.

PAWAN KUMAR SHARMA, Commissioner of State Tax.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.